निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-29/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून के माह 05/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी, व0ले0प0 एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी0एम0त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.06.17 से 16.06.17 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 05/2015 से 03/2017तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2.

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - रिंग रोड से लालतप्पड़ तक

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015—16	447.93
2016-17	419.24

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -सी--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वित्त **>**आयुक्त कर (वाणिज्य कर)**>** एडिशनल कमिश्नर (वाणिज्य कर)**>** ज्वाइंट कमिश्नर, (वाणिज्य कर)**>** डिप्टी कमिश्नर (वाणिज्य कर)**>** सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर)**>** वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में रिंग रोड से लाल तप्पड़ तक, यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह .....लागू नहीं ...को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-**II** **'ब'**

प्रस्तर संख्या-**1** कर का अनारोपण **₹** 0.**21** लाख

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक व्यौहरी जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है, इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है, जिसमे इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत आच्छादित कोई व्यौहारी भी सम्मिलित है,ऐसा सच्चा और सही लेखा-रखेगा जिसमें ऐसे माल की कीमत दिखाई गई हो, जो उसने क्रय विनिर्मित, विक्रय या सम्भरण किया हो, और ऐसे अभिलेख रखेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया जाए। एवं साथ ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(XiV) मे यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यौहारी मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखता है या प्रस्तुत किया है तो अर्थदण्ड के रुप मे कर की उस धनराशि का कम से कम पच्चास प्रतिशत आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री चमोली मार्बल एण्ड ग्रेनाईट क0नि0 वर्ष 2013-14 मे लेखा का विवरण इस प्रकार से दिया था-

आरम्भिक स्टॉक +खरीद=₹25,420+8,62,786=₹8,88,206/-

बिक्री + अंतिम स्टॉक =₹6,95,214+88,251=₹7,83,465/-

इस प्रकार व्यापारी द्वारा छिपायी गयी बिक्री ₹ 1,04,741/-(₹8,88,206-₹ 7,83,465) का था। व्यापारी के Trading Account मे लाभ दिखाया गया था। उपरोक्त बिक्री मे लाभ को न भी जोड़ा जाए तो कम से कम ₹ 1,04,741/- पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 14,140/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार ₹ 7070 का अर्थदण्ड भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर संख्या-2 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.30 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत कोई व्यौहारी युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के अधीन देय कर विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व या उसके बाद जमा नही किया है तो अर्थदण्ड के रुप मे कर का कम से कम दस प्रतिशत आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया गया था।

1. व्यापारी सर्वश्री एसोसिएट, क0नि0 वर्ष 2013-14 में कुल बिक्री ₹ 43,27,890/- का या जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 2,21,158/- का स्वीकृत कर आरोपणीय था। व्यापारी के द्वारा त्रिमास का कुल कर 1,17,390/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹ 11,739/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

2. व्यापारी सर्वश्री फलाई मोबाइल प्रा0लि0 क0नि0 वर्ष 2012-13 मे टर्नओवर ₹50 लाख से अधिक होने के कारण स्वीकृत कर माहवार जमा करना था लेकिन व्यापारी द्वारा त्रैमासिक जमा किया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में अपना कुल स्वीकृत कर ₹ 1,84,860/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹18,486/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त दोनो बिन्दु अवगत कराये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया है।

प्रस्तर संख्या-3 आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 1.07 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) में यह प्रावधान किया गया है कि इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा मे विनिर्दिष्ट है किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित हो जाए। साथ ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58 (1)(Xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रुप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो अर्थदण्ड के रुप में धनराशि का तीन गुणा आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री दशमेश इलैक्ट्रोनिक्स क0नि0 वर्ष 2013-14 में प्रान्त के अन्दर से पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर कुल ₹ 17,16,603/- का आई0टी0सी0 का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली मे संलग्न क्रय सूची के जांच मे व्यापारी Suman sales जिसका टिन नं0- 05006987226 दिनांक 18.11.2011 को पंजीयन cancel कर दिया गया था। इस प्रकार व्यापारी सर्वश्री Suman sales से खरीदी गयी कुल माल पर लिया गया आई0टी0सी ₹ 26,814 रिवर्स योग्य है एवं नियमानुसार ₹ 80,442/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धितः - शून्य

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मोहिता भण्डारी	असिस्टेंट कमिश्नर
(ii)	श्री अर्जुन सिंह राणा	असिस्टेंट कमिश्नर
(iii)	श्री कृष्ण कुमार	असिस्टेंट कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-10, वाणिज्य कर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र